न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 16/2021

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट्स**

मुकेशचंद पुत्र बालूराम जाति जांगीड निवासी हरसौर तहसील डेगाना जरिये आम मुख्त्यार भागीरथ जांगीड पुत्र गोरधनलाल जांगीड जाति जांगीड निवासी हरसौर तहसील डेगाना जिला नागौर।

1 पूजा पत्नी नरसीराम जाट निवासी मोडीखुर्द तहसील परबतसर जिला नागौर। 2 संगीता पत्नी नरसीराम जाट निवासी मोडीखुर्द तहसील परबतसर जिला नागौर।
3 बालूराम पुत्र गोरधनराम जाति खाती निवासी हरसौर तहसील डेगाना जिला नागौर।
4 तहसीलदार डेगाना।

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रामकिशोर मुण्डेल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 की ओर से।
3. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से।

दिनांक 17.10.2022

निर्णय

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा ग्राम मुण्डेलपुरा के नामान्तरकरण सं. 111 निर्णय दिनांक 26.03.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.04.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 23.06.21 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में आम मुख्तयारनामा की फोटोप्रति, ग्राम मुण्डेलपुरा की खतौनी सम्वत् 2074 से 2077 की फोटोप्रति, न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना के अनवान मुकेशचंद बनाम बालूराम प्रकरण संख्या 10/21 की फर्द अहकाम 26.02.2021 से 09.03.2021 तक की फोटोप्रति, न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना में प्रस्तुत दावे की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अपीलार्थी की ओर से मौजा मुण्डेलपुरा पटवारी हल्का हरसौर के खसरा नम्बर 13 रकबा 1.6500 हैक्टर में से बिना अधिकार के बिना विभाजन के व बिना सहमति के दिनांक 02.02.2021 को प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को किये गये विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 12.03.2021 को भरे गये व दिनांक 26.03.2021 को स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 111 के विरूद्व अपील पेश की।

{2}(II)– विक्रय पत्र दिनांक 2.2.21 प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा गलत रूप से पुस्तेनी भूमि का बिना कोई आवश्यकता के गलत रूप से अपने हिस्से से अधिक भूमि का गलत रूप से, बिना अधिकार के, बिना विभाजन व बिना सहमति के किया गया है जिस विक्रय पत्र को अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.02.2021 को ही सक्षम दीवानी न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायालय डेगाना के समक्ष दीवानी मूल वाद संख्या 10/21 पेश कर दिया जो वाद विचाराधीन रहा जिसमें प्रत्यर्थीगण के सम्मन दिनांक 4.3.21 के पूर्व ही तामिल हो गये थे तथा उन्हे वाद के संबंध में पूर्ण जानकारी हो गई थी तथा स्वयं तहसीलदार डेगाना भी पक्षकार रहे जिनकी तामिल भी हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में वाद बाबत पूर्ण जानकारी हो गयी तथा दिनांक 4.3.21 को प्रत्यर्थीगण सिविल न्यायालय में उपस्थित भी हो गये फिर भी जानकारी होने के बावजूद भी नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवाकर स्वीकृत किया गया है जो विधि सम्वत नहीं होने से अपारत होने योग्य है।

{2}(III)–नामान्तरकरण जिस विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है उसकी वैधता के संबंध में सक्षम दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है जहां पर विक्रय पत्र की वैधता विक्रेता को विक्रय करने का अधिकार है या नहीं व अपीलार्थी का हक व अधिकार है या नहीं यह तय होना है तथा विधिक अधिकार एवं हक अधिकार तय होने है ऐसी स्थिति में जब हक अधिकारों के संबंध में तथा विक्रय पत्र की वैधता के संबंध में वाद विचाराधीन है तो दौराने वाद नामान्तरकरण जैसी सरसरी कार्यवाही विधि अनुसार नहीं की जा सकती है

अपर कलक्टर, नागौर

{3}(IV)– रेस्पोडेटान पूजा व संगीता का नाम खसरा नम्बर 13/4 रकबा 0.2500 हैक्टयर में 1/8 हिस्सा का सह खातेदारी में विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2021 के माफिक किया गया, जिससे अपीलार्थी के हक हिस्सा किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होते है, अपीलार्थी चाहे तो घोषणा हक खातेदारी के लिए राजस्व वाद से अपना हक स्थापित हेतु कार्यवाही कर सकता है। बेचानकर्ता बक्षाराम ने अपना हक हिस्सा बेचा है, जिससे अपीलार्थी ने अपी गलत तथ्यों पर किया जाने से अपील खारिज योग्य है।

{4}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि ग्राम मुण्डेलपुरा का नामान्तरकरण सं. 111 दिनांक 26.03.2021 जारी किया गया। जो बेचाननामा के आधार पर जारी किया गया है। नामान्तरकरण विधि सम्मत है।

{5}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा मुण्डेलपुरा का नामान्तरकरण सं. 111 दिनांक 26.03.2021 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रतीत होता है कि उक्त नामान्तरकरण, न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना में वाद विचाराधीन होने के बावजूद बिना विधिक प्रक्रिया के पालना के भरा गया है। उक्त नामान्तरण स्वीकृत करते समय तहसीलदार द्वारा कब्जा बाबत् मौके पर जाकर किसी प्रकार की जांच नहीं की। नामान्तरकरण कार्यवाही से पूर्व पक्षकारो को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नही दिया गया है एवं संपूर्ण जानकारी/जांच की जानी चाहिये थी। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{6}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर दोनो पक्षो को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर